an>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 moved by Shri Nitin Gadkari on the 7th April, 2017 (Discussion concluded and Bill passed).

HON. SPEAKER: The House shall now take up item No. 17. The discussion has been completed and now, the Minister's reply.

...(Interruptions)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोड सेपटी के इस महत्वपूर्ण बिल पर सभी सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं उनके पूति आभार व्यक्त करता हूं तथा उन सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो सुझाव हैं, उन सब सुझावों पर हम मम्भीरता से विचार करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the Minister's statement will go on record.

...(Interruptions) â€'*

श्री **नितन गडकरी:** मैंडम, मैं श्री विपुल यय जी और स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में इसका अध्ययन करके हमें अपने सुझाव दिये और उनके आधार पर हमने यह बिल तैयार किया हैं। इसके साथ-साथ 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इसका अध्ययन किया, जिसमें दस पार्टीज के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उन्होंने भी हमें इस बिल को बनाने की युनानिमस रिवमैंडेशंस दी हैं, उन्हों भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

मैडम स्पीकर, मैं सदन को बताना चादता हूँ कि सरकार ने स्थायी समिति की सभी सिफारिओं को तगभग स्वीकार किया हैं। ...(व्यवधान) जो 16 सिफारिओं थीं, उनको मानते दुए इस बिल में संशोधन पूस्तुत किए गए हैं। ...(व्यवधान) अन्य सिफारिओं को भी हमने सैद्धांतिक रूप से माना हैं। ...(व्यवधान) और मीमो में उस पूकार से परिवर्तन करने का निर्णय भी किया हैं। ...(व्यवधान) स्पीकर महोदय, केवल यह वाहन रिजस्ट्रेशन तथा इत्तैवट्रांनिक कम्युनिकेशन संबंधी सिफारिओं के बारे में स्थायी सिमिति ने यह कहा था कि यह बात आप राज्य सरकारों पर छोड़ दीजिए। ...(व्यवधान) परंतु जब हम यह चाहते हैं कि पूरे देश में हम एक साथ इसको लागू करें तो इसके लिए इसको ई-गवर्नेस में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक हैं कि इत्तैवट्रांनिक सिस्टम का उपयोग किए बिना यह पूरा कार्यक्रम यशस्वी नहीं होगा। ...(व्यवधान) पर यह राज्यों के साथ व्याइस करेंगे तो इसमें अड़चन आएगी, इसिलए इसमें निर्णय किया हैं। ...(व्यवधान) मैडम, मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुँ। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is not yielding. What is it?

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री **मटिलकार्जुन स्वड़गे(गुलबर्गा) :** भैडम, बस एक मिनट_। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: He is reading. What is it?

…(<u>व्यवधाज</u>)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: See just, we are requesting through you to Home Minister…… (Interruptions)

HON. SPEAKER: These people are standing inside the well.

...(Interruptions)

13.57 hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members

went back to their seats.)

श्री मित्तकार्जुन खड़गे: मैडम, ऐसे लोगों को पैदा कर के ऐसा हो गया है_। …(व्यवधान) मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ_। …(व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पैदा कर के …≛ ने यह मुसीबत लाई हैं_। …(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैंडम, यह बहुत अनुचित हैं| ये बहुत गलत बोल हैं| ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्वड़में जी, ऐसा बोल कर आप और मड़बड़ पैदा कर रहे हैं_|

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : खड़मे जी, हो गया हैं। बार-बार एक ही मुद्दा नहीं उठाना हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

भ्री मिल्लकार्जुन खड़ने: इसलिए होम मिनिस्टर से हमने यह रिक्वेस्ट की है एफ.आई.आर. रिजिस्टर किविए और जिसने गलत बयान दिया है। ...(व्यवधान) A man who has spoken wrong thing, he should be punished as per law and therefore, we want FIR should be registered against him and that is why, the minister should come and make a statement. If he does not come, then, under protest, we have to walk out. Under protest, we walk out. ...(*Interruptions*) This is not good.

13.58 hours

(At this stage, Shri Mallikharjun Kharge and some other

hon. Members left the House.)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, बोलिए।

श्री नितन गडकरी: महोदय, माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर रखे हैं, उनके बारे में जो विंताएं व्यक्त की हैं, उसके बारे में मैं निश्चित रूप से उनकी बातों से सहमत भी हूँ और कुछ बातों के बारे में सुवासा भी करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती अर्पिता घोष, श्री शंकर पूसाद दत्ता और कुछ अन्य सदस्यों ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में विंताएं व्यक्त की हैं। मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बिल में क्लेम्स ट्राइन्युनल द्वारा मुआवजे की राशि पर किसी पूकार की कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसिएए आप इस बात की विंता मत कीजिए। दूसरी बात स्थायी समिति की सिफारिश को मानते हुए, यह भी प्रावधान रखा है कि मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा। यदि उन्होंने अपने वाहन का बीमा करा रखा है तो मोटर वाहन मालिकों के उपर किसी पूकार की जिम्मेदारी नहीं आएगी। ...(व्यवधान)

पूरे. सौगत राय (दमदम) : ट्रक मालिकों की जो हड़ताल थी, उसका वया किया? ...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : सर, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया है न_। ...(व्यवधान)

श्रीमती अर्पिता घोष (बालूरघाट) : उसका पैसा कौन देगा?

श्री नितिन गडकरी : ट्राइब्युनल जो निर्णय देगा, जिसके ऊपर आदेश निकालेगा, वे पैसे देंगे।

मैडम, दावेदारों के दावों के तेज़ निपटारे के लिए इस बिल में पांच लाख रूपये तक के मुआवजे का प्रावधान किया है। यह कोई अंतिम सीमा नहीं है। यह मिलने के बाद अगर वह चाहता है तो केस विदल्लें कर सकता है। नहीं चाहता है तो अपील कर सकता है। इसलिए कोर्ट केसिज़ कम हों और तुरंत कुछ न कुछ मिले, इस भावना से इसका निर्णय किया गया है। यदि बीमाधारक चाहे तो वह यह राशि स्वीकार कर सकता है। अन्यशा उसके पास वलेम्स ट्राइन्युनल में जाने का रास्ता खुना है। इसलिए आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सभी माननीय सदस्यों को एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीमा कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली भुगतान राशि की कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए हमने यह निर्णय करते समय सर्व सामान्य नागरिकों के दितों का विचार करते हुए इस बात को स्वीकार किया है।

14.00 hours

सम्माननीय स्पीकर महोदया, सोलेशीयम फंड के बारे में श्री वेणुगोपाल जी, पृभाकर रेड्डी जी और श्रीमती रत्ना है जी ने विन्ता पूकर की हैं। मैं इसके बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस फंड का उपयोग हिट एंड रन के मामतों में मुआवजे का भुगतान करने हेतु किया जाता हैं। इस बिल में एवसीडेन्ट्स विविदम्स फंड का प्रावधान रखा गया है, जिसका हिट एंड रन तथा गोल्डन ऑवर में धायतों का इताज करने के लिए उपयोग होगा। इस फंड की स्थापना के बाद यह सोलेशीयम फंड इस बार नये फंड में विलय हो जायेगा। इसिलए इसके बाद जो बेनीफिट्स हैं, वे मिलेंगे ही। एग्रीगेटर्स और प्रमिट आदि के बारे में शंकर पूसाद दत्ता जी ने विन्ता व्यक्त की हैं। उसहोंने कुछ पृक्ष उठाये हैं। इम एग्रीगेटर्स के लिए एक कानूनी रूप-रेखा पूदान कर रहे हैं, वयोंकि एग्रीगेटर्स यह दावा कर रहे थे कि यह अधिनियम उनके उत्पर लागू नहीं होता और वे आई.टी. एवट के अन्तर्गत सेवायें दे रहे हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि सभी राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एग्रीगेटर्स के बारे में पॉलिसी बना सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, इसके बारे में राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। इमने राज्य सरकार का कोई अधिकार लिया नहीं है, इसलिए एग्रीगेटर के बारे में और कुछ नियम बनावे हैं तो वे बना सकते हैं। जी.ओ.एम. की सिफारिशों के आधार पर यह पूपवधान लाया गया है। जो जी.ओ.एम. हमने बनाय था, उसके कहने पर इसे लाये थे।

जहाँ तक लोक परिवहन सेवाओं का पूष्त हैं, सभी अधिकार राज्यों को दिये गये हैं। अब यह राज्यों के अधिकार में हैं कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं, उनके कर्मचारियों के हितों का निर्णय करें या आम जनता को कैसे बेनीफिट मिले, दोनों को संभातकर कैसा निर्णय करें, यह पूरा अधिकार राज्य सरकार को दिया हैं। मैं सम्माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो हमारी पूरे देश की कारपोरेशंस अनेक राज्यों में हैं, उनकी स्थित अच्छी नहीं हैं। वे तानस्वाह तक नहीं दे सकते हैंं। वे गाड़ियों की मेन्टिनेंस तक नहीं कर सकते हैंं। कुछ जगहों पर उन्हें डीजत तक उधारी पर नहीं मिलता हैं। लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं और दूसरी तरफ यूनियन के द्वारा इन कर्मचारियों के अधिकारों की बात भी हो रही हैं। दोनों बातें अपने लिए ठीक हैं, पर कहीं न कहीं राज्य सरकार को यह सोचना होगा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आम गरीब आदमी स्टेट ट्रांसपोर्ट से लाखों प्रवासी जा रहे हैं, वया इस देश में उनके लिए कोई वचालिटी सर्विस हम दे सकेंगे, वया उनको हम कोई सविधा दे सकेंगे। मैं कहना नहीं चाहता पर कछ स्टेटर में ऐसी बसेज हैं कि उनका हार्न छोड़कर सब बजता हैं।

सम्माननीय स्पीकर महोदया, मैं चिनितत हूँ और राज्य सरकार का कोई अधिकार हम लेना नहीं चाहते। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम रुरत ट्रांसपोर्ट के लिए नयी योजना की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लीशियम-आयन बैटरी का दो दिन पहले ही मेरे यहाँ कैबिनेट सेक्ट्री और हमारे किरण कुमार जी, जो इसरों के वेयरमैन हैं, उनकी मीटिंग हुई और लीशियम-आयन बैटरी को हम कामशियलाइन कर रहे हैं। ये जो डीजल की पुरानी गाड़ियाँ हैं, इनको रीफर्निश करके इनको इलेविट्रक पर लाकर, टिकट के रेट कम से कम 50 टका कम हों, यह मेरी इच्छा है। इस गाड़ी को 50 टका टिकट के रेट कम करके एयर कंडीशन गाड़ी में इस देश का गरीब से गरीब सहमी उस बस में घूमे, यही सरकार की इच्छा है।

प्रो. सौगत राय: मंत्री जी, ऑर्डनेरी गाड़ी भी लिथियम-आयन बैटरी से चलेगी_।...(व्यवधान)

भी निर्तिन गडकरी: मैं सम्माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आप मेरी कांस्टीटसूएंसी नागपुर में एक बार आइए। सरकार ने, वहाँ की महानगर पालिका में हमने एयर कंडीशन बसें, जो किसानों के तैयार किए हुए 100 परसेंट इथेनॉल पर, पयूल पर ऐसी बस है, ग्रीन बस उसे कहते हैं, उसका काफी फोटो भी आया हुआ है, 55 बसेन हैं, उससे आवाज नहीं आती है, धुँआ नहीं निकलता है और वह किसानों के द्वारा तैयार किए हुए पयूल पर चलती हैं। पालियामेंट में इतेविट्रक बस आयी है, लेकिन उसमें लीथियम-आयन बैटरी की समस्या हैं। हमने एक आई.आई.टी. को चुना हैं, क्योंकि हमारे पास दो लाख बसेन हैं और बसेन की हालत तो मैंने बतायी कि हार्न छोड़कर सब बजता हैं। उनमें कुरियाँ नहीं हैं, सिर्विक्यों नहीं हैं। ज्यादातर बसों की ऐसी हालत हैं। तिमलनाड़, कर्नाटक में बसेन कम्पेरेटिवती अच्छी हैं। पर, बाकी स्टेट्स में, हमारे महासाब्द में भी समस्या हैं। आई.आई.टी. को हम यह कार्यक्रम दे रहे हैं कि एन्जीस्टिंग बस के स्ट्रवर को यून करके, उसको री-फिला इंजन निकल कर उसमें लीथियम-आयन बैट्टी बिठाएंगे, जो बैट्टी बैक-अप 55 लाख रुपये का है, उसे हम पाव से छः लाख रुपये देकर, जो दो करोड़ की बस है, उसे इस पन्दुह-बीस लाख रुपये में चकाचक नई बस बनाकर हम गरीबों को, टिकट्स के रेट आधे करके, कैसे दे सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। यह कठिन है, पर हमने आई.आई.टी. को यह दिया हुआ हैं। दो दिनों पहले ही कैबिनेट सेक्टरी और किरण कुमार जी, जो हमारे इसरो के वेयरमैन हैं, उन्हें हमने इसके लिए कहा। उन्होंने लीथियम-आयन बैट्टी की टेवनॉलोजी केवल भेल (बी.एच.ई.एल.) को दी थी तो मैंने कहा कि केवल भेल को नहीं सहिद्दक सरप्तर हैं, कील सरप्तर हैं और इससे पुटूषण कम होगा। यह कॉस्ट इफेविटव, इम्पोर्ट सब्सटीच्यूट, पॉल्यूशन-पूरी एण्ड इंडिजीनस, इन चारों बातों में होगा तो इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंग।

पर, मैं दत्ता सहब को कहूंगा कि आपको तिपुरा में यह सोचना होगा कि हम केवल कर्मचारियों को पगार देंगे तो पहले से ही कॉरपोरेशन ऐसी हातत में है कि इसकी बहुत हातत खराब है, इसिलए दोनों का संतुलन रख कर, इसमें से कैसे मार्ग निकालना हैं, यह राज्य सरकार को सोचना होगा_। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार जो भी भूमिका लेगी, उसका हम समर्थन करेंगे और मेरा अनुरोध रहेगा कि गरीब व्यक्ति का विचार करके अगर उस पर विचार होगा और अगर उसे उसमें पूधान्य मिलता हैं तो ज्यादा अच्छा होगा और इससे कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा होगी_।

स्पीकर महोदया, ओवरलोडिंग, लेन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, एम्बुलेंस के बारे में श्री तथागत सत्पथी, श्री धर्म वीर गांधी, श्री अरविंद सावंत, श्रीमती अर्पिता घोष ने अपने विचार रखे हैं। यह बात सही हैं कि हम लोग अभी भी ज्यादा परिमाण में एम्बुलेंस दे नहीं पाए हैं। हमारा प्रयास था कि इसे 50 किलोमीटर पर रखेंगे। हमने यह तय किया कि हमने एक 'रेड ज़ोन' तैयार किया, जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। फर्र प्र्योरिटी में ऐसे रेड ज़ोन में जो हमारे रोड्स का नेटवर्क हैं, उसको हम एम्बुलेंस दे रहे हैं। कुछ ज़गह हमने दी हैं। पर, मैं आपसे आहान करूंगा कि जैसे बड़े-बड़े संस्थान हैं, जैसे शिरडी साई संस्थान को मैंने ऑफर किया कि आप हमें एम्बुलेंस डोनेट कीजिए, हम लोग उस पर आपका नाम देकर उसे रोड्स पर चलाएंगे। अगर सी.एस.आर. में भी कोई एन.जी.ओ., कोई संस्था आने आती हैं तो अच्छा हैं। अभी हमने एम्बुलेंस का भी एक ऐसा नया मॉडल तैयार किया है कि एक एम्बुलेंस में हम छः पेशेंट्स को सुला कर ले जा सकेंगे, क्योंकि जब बस का कोई बड़ा एक्सीडेंट होता हैं तो एक-एक समय पर तीस-तीस, चालीस-चालीस लोग ज़रमी हो जाते हैं और फिर एम्बुलेंस केवल दो को ले कर जाती हैं, तब तक बेचारों की जानें चली जाती हैं। यह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिमाण में हमने इसे किया है। इसकी और कोशिश करेंगे।

ओवरस्पीडिंग के बारे में हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिटी एरियाज़ में कैमरे बिठाएंगे। आपको पता है कि धीरे-धीरे आगे जाकर इसमें फाइनैंशिएल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। लेन ड्राइविंग के बारे में भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता हैं। जैसे तीन लेन्स हैं, तो उनमें आखिरी लेन पर टूकों को चलना चाहिए और पहली दो लेनों को कार के लिए रखना चाहिए। इसलिए देश में जो 2,000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर्स होंगे, जो फिटनेस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देंगे, वहां ड्राइवर्स को मैनर्स, एटीकेट्स, सिस्टम, लॉज़, सबकी जानकारी की ट्रेनिंग देकर हम कोशिश करेंगे कि इसमें निश्चित रूप से सुधार हो।

ओवरलोङिंग की समस्या सारी ज़गहों पर हैं। इसके लिए अभी नेशनल हाईवेज़ पर 380 ज़गहों पर हम 'वेइंग ब्रिज' लगवा रहे हैं। इसके लिए हैंवी फाइंस हैं। अगर देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है तो जैसे दिल्ली से मुम्बई माल जाता है या मुम्बई से दिल्ली आता है तो दिल्ली के रिग रोड के बाजू में हम एक लॉजीस्टिक पार्क खोलेंगे और 50 टन के ट्रकों में माल लाएंगे। अगर 50 टन के ट्रकों में माल लाएंगे तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगी और फिर दिल्ली में गोडाउंस स्थले की जरूरत भी नहीं होगी। यहां ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन नहीं होगा और छोटे-छोटे टैम्पोज़ में जब चाहे वह माल डीलर्स की दकानों में आ सकेगा।

हमारे देश में एक ट्रक 225-250 किलोमीटर चलता है और अमेरिका में एक ट्रक 700-800 किलोमीटर चलता है| इसिलए हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18औ है, जिसके कारण हमारा एवसपोर्ट नहीं हो रहा है| इसिलए हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18औ है, जिसके कारण हमारा एवसपोर्ट नहीं हो रहा है| इसिलए हमारे अभी अगते महीने की 3, 4 और 5 तारीख को लॉजिस्टिक कॉफ्रेंस रखी है| इसमें एविएशन मिनिस्ट्री, गेंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वाटरवेज़ और कोस्टल ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं, उनके लिए भी हमाने मिनिस्ट्री है| में सदन में यह बता चुका हूं कि अभी हमाने इनलैंड वाटरवेज़ में काफी काम शुरू किया है| गंगा नहीं में काम शुरू हुआ है| मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें 18 परेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट है| हमारा डीजल भी इम्पोर्टेड है, जब तक हम हिन्दुस्तान में पानी पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमारा सही उद्देश हासिल नहीं होगा| हमारी पहली पूर्धिमकता पानी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की है| अगर पानी के ट्रांसपोर्ट पर 20 पैसे का खर्च आता है, तो रेलवे में एक रूपये का खर्च आता है और रोड पर डेन रूपये का खर्च आता है| मैं रोड मिनिस्टर जरूर हूं, लेकिन मेरा मत है कि रोड ट्रेंफिक कम होना चाहिए| मेरी पहली पूर्धिमकता वाटर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड रेलवे और थर्ड रोड ट्रांसपोर्ट का है| आज यह मेरे लिए भी एक रमस्या बनी हुई है, इसिलए में इसमें युधार चाहता हूं| एक रमय था जब 96 हजार किलोमीटर नेशनता होने की नहीं बढ़ रही थी, पाँच लाख एक्सीडेंट्स हो रहे थे और डेन लाख लोगों की मृत्यु होती थी| आपने भी इस बात का जिक्द किया था| हमाने निर्णय किया कि हम 96 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर हो लाख किलोमीटर तक पहुंचे हैं|

मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर की शेड लंग्थ हैं, उसमें से 96 हजार किलोमीटर शब्दीय राजमार्ग था और इस दो पसेंट शेड पर देश का 40 पसेंट ट्रैफिक चल रहा था। हमारे माननीय पूधान मंत्री भ्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुझ से कहा कि आप शेड को बढ़ाइए और एक्सीडेंट कम होने चाहिए। इस संबंध में भारत माता का प्रपोजल भी आया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में शेंड जोड़ने की बात आई हैं। इसमें 12 प्रपोजल ऐसे हैं, जिनमें हमने शेड—कम—एयरपोर्ट यूज करने के लिए प्रपोजल तैयार किया हैं, वहां पर हवाई जहाज उतरेगा, वहीं पर एयरपोर्ट भी होगा और रेलवे के फाटक जैसा ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। जब ट्रैफिक बंद हो जाएगा, तब हवाई जहाज आएगा और फिर उड़ कर दूसरी दिशा में चला जाएगा। हम ऐसे 12 एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। हमारे राजस्थान की सीमा में तीन—तीन सौ किलोमीटर की दूरी तक एयरपोर्ट नहीं हैं। मुझे लगता है कि आपके सुझाव से ट्रांसपोर्ट सेवटर में काफी चेंज किया गया हैं। जब हम दो लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो देश का अरसी पर्सेट ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर चलेगा। मैंने केवल इतना ही नहीं किया हैं, बल्कि जब दस हजार पीसीयूज का ट्रैफिक होगा, तो वहां पर हम 4 लेन की सुविधा करेंगे और यदि बीस हजार पीसीयूज का ट्रैफिक होगा, तो वहां पर 6 लेन किया जाएगा। अभी हम 11 एयरप्रेस वे हाईवे बना रहे हैं, यह एविसस कंट्रोल होगा। इसमें दिल्ली—जयपुर, दिल्ली—कररा, हैदराबाद—बंगलोर, विजयवाड़ा—हैदराबाद, और दिल्ली मेरठ हैं। अभी दिल्ली—मेरठ का काम काफी तेजी से चल रहा हैं। आपने दिल्ली के स्वामी नारायण मंदिर के सामने देखा होगा कि वहां पर 14 लेन का रोड बन रहा हैं।

आज हमारे राज्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे साइकिल चलाते हैं। हमने माना है कि साइकिल को भी प्राथमिकता देनी होगी। हमने रोड के बगल में साइकिल ट्रैंक भी बनाया है। मैं देश के सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि सभी लोग साइकिल को ही अपना दिक्कत बनाएं। यह पॉल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेविटव, इम्पोर्ट सब्सिटिटसूट और इंडिजिनिस हैं। ...(व्यवधान) और यह हेल्दी भी हैं। हमारे राज्य मंत्री जी साइकिल का विशेष प्रचार कर रहे हैं।

मैं सम्मानीय सदन को बताना चाठूंगा कि हम ट्रांसपोर्ट सेवटर में काफी बदलाव कर रहे हैं| इस संबंध में हमने पाँच टेवनोलॉजी लाई हैं| हम हवा में चलने वाली बस शुरू कर रहे हैं| मुझे मातूम है कि चिद हम सारी बातें बताएंगे तो आप करेंगे कि मंत्री जी सिर्फ बात कर रहा हैं, लेकिन मैं बहुत ही कंकीट बात कर रहा हूं| अभी पाँच टेवनोलॉजी आई हैं| हमने धौलाकुआं से मानेसर तक 70 किलोमीटर का टेंडर निकाला है| हम इसके पहले तीन ट्रांचल प्रोजेवट का काम एक महीने के अंदर शुरू करने जा रहे हैं| अब हवा में ऊपर ही ऊपर स्टेशन होंगे और ऊपर ही ऊपर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी होगी| मेट्रो की कॉस्ट प्रति किलोमीटर 350 करोड़ रूपये हैं, अब हम जो टेवनोलॉजी ला रहे हैं, उसकी कॉस्ट कैपेसिटी उतने ही पैसेंजर की है और इसकी कॉस्ट पवास करोड़ रूपये से कम है| हमारे पास प्यूल इलेकिट्रक हैं| हमारे देश में बहुत से पहाड़ी राज्य जैसे — उत्तरासंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणावल प्रदेश आदि हैं| हम पहाड़ों पर ऊपर जाने के लिए रोप वे, केबल कार और सर्कुलर रेलवे की भी टेवनोलॉजी लाये हैं | आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट सेवटर में परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा प्लान लाया है| हम लोग इस प्लान को जरूर पूरा करेंगे|

कल मैंने गोवा में पानी तथा रोड पर चलने वाली एक बस लाने की बात की थी। अभी पंजाब सरकार ने इस प्रकार की बस भी खरीद ली हैं। हमने भी इस प्रकार की एक बस खरीद ली हैं। यह बस अमेरिका से स्पेशल पेटेंट पर आई हैं। जब हमारे यहां सिस्टम में यह बस आई तो यह पूछा गया कि यह बस हैं या जहाज हैं। इस बस को करूरम वालों ने दो महीने से जब्त करके रखा हैं। हम कहते हैं कि यह बस हैं, लेकिन यह सही अर्थ में दोनों ही हैं। इसके ऊपर सवा दो सौ प्रतिशत न्यूटी लगाई गई हैं। यह न्यूटी चालीस प्रतिशत लगनी चाहिए, इसलिए हमारी बातचीत चल रही हैं। जब मैं पंजाब में बादल साहब के पास गया था, तो वहां पर देखा कि एक बहुत अच्छी बस बनाई गई हैं, यह इंडिजिनियस हैं। मैं आपको आहान करता हूं कि अब आपके राज्य में, आपके म्युनिशिपल कारपोरेशंस में, आपके तालाब में, आपकी निहेंचों में एवं आपके समुद्र में पानी एवं रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ होगा। गोवा में इसकी मैनुफैक्विरिंग कुरू हुई हैं, इंडिजिनस हैं, उन्होंने कांट्रैक कर लिया हैं। इसका इंजन भी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एलएनजी और डीजल, न्यूल बने, ताकि कॉस्ट इफेविटव हों। एलएनजी के कारण 75 पसेंट कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कैलोरिक कैल्यू ज्यादा हैं और इससे बहुत बड़ा वेंज होगा। आप वाराणसी से बैठकर गाजीपुर तक इसी बस में चले जाएंगे, गाजीपुर से और आने वले जाएंगे, बिल्या तक जाएंगे, बिल्कुल आपके गांव जाएंगे। ...(व्यवधान) आंद्र प्रकेश की बी दो बसेज़ का आईर हिया और इसके स्टैंड इस हमने बयान किए।

मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, जनता को आह्वान करता ढूं कि आपके कोरपोरेशन में, आपकी नदी में, आपके तालाब में, आपके समुन्दर में, जहां-जहां मिलती हैं, वहां-वहां यह बस आप चालू किरए। इसकी कीमत अभी सवा दो से हाई करोड़ रुपये हैं। इसके ऊपर 24 पर्सेंट एक्साइज हैं। ...(व्यवधान) अभी जीएसटी लगने के बाद इसमें कुछ कॉस्ट कम होगी। आप तोग और मैं, दोनों मिलकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से कहेंगे कि यह हमारा पोल्यूशन फूी, पानी पर चलने वाला नया इनोवेशन हैं, तो निश्चित रूप से वे भी इसमें कुछ सहयोग करेंगे।

देश में मूमीण क्षेत्र में, निदयों के बाजू में जो मांव हैं, उनको, मरीबों को ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन मिलेगा, इसकी भी शुरूआत हम करेंगे। ...(व्यवधान) मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पहली बार 111 निहयों को इनलैंड वाटर वेज़ में कनवर्ट करने का बिल मंजूर किया हैं। उसमें जो बिकंघम कैनाल का है, आदरणीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मेरे बीच में करार हुआ है, फिर गोवा की दो निहयां हैं, माण्डवी और जुआरी, तीसरी एक महाराष्ट्र की जेएनपीटी के पास की है, मंगा और बूहापुत्र हैं। बूहापुत्र पर 65 वाटर पोर्ट्स, रिचर पोर्ट्स, रिचर पोर्ट्स, रिचर पोर्ट्स, रिचर पोर्ट्स, रिचर पोर्ट्स, रिचर पोर्ट्स, विचर, तीन मल्टीमॉडल हब हैं, 6 शहरों में फेयरी सर्विस हैं। आज इस सभागृह में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 3,000 करोड़ रुपये के काम मंगा में पूरी तरह से जोरों से शुरू हैं।

आप जो ड्रेजिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के लोग से हम लोग वाराणसी से हिट्सा तक, हिट्सा से बंगाल की खाड़ी से लेकर बूह्मपुत् तक और बांग्लादेश के चटगांव तक और कल जो पूधानमंत्री जी वहां आई और हमारे पूधानमंत्री जी ने उनके साथ एगूमेंट साइन किया हैं कि बांग्लादेश की बूह्मपुत् जहां जाती हैं, वहां भी हम हाई सौ करोड़ रुपये बांग्लादेश को दे रहे हैं, 20 परेंट वे डाल रहे हैं, वहां भी बूह्मपुत् की ड्रेजिंग कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only Minister's statement will go on record.

…(Interruptions)… <u>*</u>

भी नितिन गडकरी: मैं सम्मानित सदस्यों को नमृतापूर्वक बताना चाहता हूं। एक तो, कुछ लोग समझते हुए भी नासमझ हो जाते हैं। हिल्हया के पोर्ट में हमारी सरकार आने के पहले साढ़े चार सौ करोड़ रुपये ड्रेजिंग के लिए सार्च होता था। मद्रास आईआईटी और आस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को एप्वाइंट किया, हमने नई चैनल ओपन की और अब हर साल साढ़े चार सौ करोड़ नहीं, दो सौ करोड़ रुपये में ड्रेजिंग का काम शुरू हैं और हमारी सरकार ने इसे करके हाई सौ करोड़ रुपये बचाये हैं। ...(न्यवधान)

HON. SPEAKER: Why are you talking like this? You don't answer something.

भ्री नितन गडकरी: दूसरी बात, हिन्दया से लेकर वाराणसी तक पहले ट्रैंक में हमने करीब दो हजार करोड़ रुपये ड्रेजिंग के काम के लिए पांच साल के लिए रखे हैं_। हर साल ड्रेजिंग होगी_। उसमें से चार ड्रेजिंग के कार्यों का भुभारमभ हो चुका हैं_। ड्रेजर आपके क्षेत्र में गंगा में काम कर रहे हैं_। आप बंगाल के होने के बाद भी...(व्यवधान) मैं आपसे नमृतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि गंगा में ही चार जगह अभी ड्रेजिंग का काम भूरू है_। आप जरूर मेरे पास आइए_। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please, Shri Adhir Ranjan Ji, why are you talking like this?

श्री नितिन गडकरी: फरक्का के गेट का काम शुरू हैं। यह विषय थोड़ा अलग हैं। इनलैंड वाटर वेज़ और गंगा के काम पर मेरे पास आइए। जहां कहीं भी होगा, मैं आपको और मदद करूंगा। आप आइए।

HON. SPEAKER: Please, Shri Adhir Ranjan Ji, do not do like this. You do not answer something.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Please understand. ऐसे पूम्त-उत्तर नहीं होंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री नितिन गडकरी : आप मेरे भाषण के बाद मुझसे सवाल पूछिए।…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी सब कुछ समझते हैं, काम करते हैं। सब उत्तर मिलेंगे, but not like this.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: This will not do. He knows better than you.

...(Interruptions)

भी नितन गडकरी: आप मेरे पास आइए, मैं मदद करूंगा...(व्यवधान) स्पीकर महोदया, एक बात पर सभी सदस्यों ने चिनता व्यक्त की हैं जो भ्रस्थ पिकर ड्राइविंग करने के बारे में हैं। इससे बहुत ऐवसीडेंट्स हो रहे हैं। वेणुगोपात जी, अरविंद सावंत जी ने अपनी बात रसी हैं। भ्रस्थ पीकर गाड़ी चताने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी में संभोधन करके कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हमने गृह मंत्रालय को तिस्ता हैं। यह बात जरूर हैं कि मैंने रूत्स ऑफ रोड्स के बारे में राज्यों के भ्रिक्षा मंत्रियों को एक पत् तिस्ता हैं। प्रथमिक, माध्यमिक स्कूलों में रोड सेपटी के बारे में कुछ अच्छे तैसन्स, कुछ जगह कार्टून्स फिल्म द्वारा, कैम्पेनिंग द्वारा, एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, मैं रेडियो पर अपने संदेश देता हूं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए।

एक कम्पनी ने एक पूपोजत दिया है कि अगर आप शराब पीकर ड्राइविंग करेंगे तो रमैत के कारण आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : मंत्री जी, मेरी एक पूर्थना है|...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वीरेन्द्र जी, बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री नितिन गडकरी: मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल कानून कनकरेंट लिस्ट में है और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कंट्रोल में आता हैं। हमने राज्य सरकारों के अधिकार बढ़ाए हैंं। येड्स पर जो पार्किंग होती हैं, दारू पीकर गाड़ी चलाने से आईपीसी की धारा लगती हैं, कहीं न कहीं ऐसी छोटी-मोटी बातें कानून-व्यवस्था के कारण आती हैं। हमने ट्रांसपोर्ट नीति के आधार पर जो भूमिका तैयार की हैं, मैंने राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट मंतिरूपों का आहान किया है कि वे इस बारे में जरूर निर्णय करें।

सुप्रीम कोर्ट का गुड सैमरिटन के बारे में जो निर्णय है, इसमें कानूनी दिसाब से निर्णय हुआ हैं। मैं वेणुगोपान जी और श्रीमती किरन खेर के कथन से सहमत हूं कि इसमें डावरर्स और नर्सों को भी ताया जाए। जब कोई अच्छा व्यक्ति किसी की मदद करता है, उसे अस्पताल ले जाता है तो उसी को तक्तिफ होती हैं। हमारे डिपार्टमैंट ने इस बारे में आईर ईशूज़ किए हैं। जो व्यक्ति किसी की मदद करता है, उसे पुतिस द्वारा कोई तक्तिफ नहीं होनी चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के आधार पर यह कहा हैं। किरन जी, आपने मुझे कहा, हमारे ध्यान में यह बात नहीं आई थी, लेकिन हम इसमें डावर्ट्स और नर्सों के लिए नए आईर निकलिंग, तािक उन्हें भी कोई तक्तिफ न हो, वयोंकि डावर्ट्स ऐडिमट करने के लिए तैयार नहीं होते। पेशेंट सीरियस होता है, लेकिन पुत्रिस आकर पूछती है कि ट्रीटमैंट क्यों किया, वया हुआ। इसिलए वे कहते हैं कि ऐवसीडेंट केस हैं, ले जाइए। आपकी बात सही हैं। डावर्ट्स और नर्सों को भी इसमें संरक्षण हेंगे। जो और नियम बनाने हैं, उनमें इंडियन मेडिकत काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल के प्रावधानों का भी अध्ययन करके...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Why don't you include doctors and nurses in the purview of the law itself?

SHRI NITIN GADKARI: The decision has already been given by the Supreme Court. So, it is mandatory on the part of the Government to take a decision. We would issue the order. ...(*Interruptions*) Through Executive Order, I would promise that we would do it. ...(ञ्चवदान)

माननीय सदस्य ने सड़क दुर्घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है_। मैं पहला मंत्री हूं जो अपने डिपार्टमैंट के खिलाफ बोलता है_। मैंने डीपीआर बनाने वालों को एक बार कहा कि अगर आपने अब गलती की तो आपका नाम निकालकर आपके ऊपर धारा 302 लगाएंगे |...(व्यवधान) यह बात सव है, मैं क्षमा मंगता हूं, आप इसे अन्यथा मत लीजिए, पुरानी सरकार ने प्रोजैवट को वॉयबल बनाने के लिए अंडरपास, ब्रिज काट दिए। दिल्ली-जयपुर रोड ऐवसीडैंट का कितना बड़ा ट्रैप बना हैं। मैं अपने बजट से 4 प्लाईओवर और 6 अंडरपास बना रहा हूं। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। आदमी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस बारे में हमने निर्णय किए हैं कि रोड के बगत में कूंश बैरियर लगाएं। जहां बीच में क्लॉरिंग होगी, वहां सोतर लाइट सिस्टम लगेगा। दोनों बगत में मार्किंग अच्छी होगी। मार्किंग के पेंट से स्पेशन चमक आएगी, ताकि ड्राईवर को समझ आए, स्पीड ब्रेकर में भी सुधार किया हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश में सभी जगह कूंश बैरियर लगाने के लिए कहा है, अब कोई बस खाई में नहीं निरनी चाहिए।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, नेशनल हाईवे 44 पर एक विलेज हैं, जो विडो विलेज हो गया हैं, क्योंकि इस गांव के पूरे मर्द लोग मर गए, "हिन्दू" में एक आर्टिकल आया था, जिसे विडो विलेज कहते हैं, आज तक ऐसे विलेज को आपने इगनोर किया हुआ हैं।

श्री नितिन गडकरी : आपने मुझे पहले बताया था, इसके लिए 11 हजार करोड़ रुपये मंजूर किया है, 86 ब्लैक स्पॉट्स मंजूर किए हैं और उसके इपूवमेंट का काम शुरू किया है। अगर मेरी यादाशत

सही है तो जिस दिन आपने मेरे ऑफिस में मिल कर मुझे बताया, उसी दिन मैंने तुरंत आर्डर पास किया था। फिर भी आप मेरे पास आइए, इसे मैं जरूर करूंगा। दूसरी बात यह है कि कांट्रैक्टर्स रोड बनाते हैं और कांट्रैक्टर्स रोड में गड़के रखते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। पहली बार इस बिल में प्रावधान किया है कि खराब सड़क और एक्सीडेंट के लिए डीपीआर बनाने वाले डिजाइनर और कांट्रैक्टर्स को इस एक्ट के माध्यम से जिम्मेदार बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए उन्हें फाइन भी देना होगा। मेन्टेंस एजेंसी के लिए हमने फाइन रखा है। फिलहात इसे कम रखा है, लेकिन आगे कलकर इसकी शुरूआत हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर कांट्रैक्टर्स इसी तरह काम करेगा तो हम आगे उसे ब्लैक लिस्ट करने का भी काम करेंगे, हम इस पूकार की आदत को टालरेट नहीं करेगे।

स्पीकर महोदया, विदेशों में छोटा सा काम होता है और लोग रात में मेहनत करके कवर कर देते हैं, फटाफट काम करके चले जाते हैं_| हमारे देश में तीन-चार महीने और साल भर रोड खोद कर रखते हैं और रोज लोग बैठते हैं, गाड़ियां गिरती हैं, लोग मरते हैं, तेकिन कोई इसकी चिता नहीं करता, इसके लिए हमने पहली बार प्रावधान किया है, हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे_|

ट्रामा सेंटर के बारे में नेटवर्क को मजबूत करने का सुझाव आया है, इसमें से 50 किलोमीटर के महत्वपूर्ण अस्पतालों और ट्रामा सेंटर इमर्जेसी केयर के बारे में हॉस्पीटत्स को इम्पैनल करने का काम कर रहे हैं, इसमें इम ज्यादा काम नहीं कर सके हैं_| स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ऐसे ट्रॉमा के लिए आवश्यक इविवपमेंट्स को वया इम उन्हें दे सकते हैं, जिससे इम लोगों की जान बचाने में यशस्वी हों, इम इस पर जरूर विचार करेंगे_|

कुछ यदस्यों ने ड्राईवरों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं अरविन्द सावंत जी को आष्वस्त करना चाहता हूं कि भाषा से संबंधित बातों को इमने नियमों में शामित किया है, इसिलए निश्चित रूप से इसकी विंता करेंगे। श्री वेणुगोपाल जी ने कहा देश में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम एक समान हों। वेणुगोपाल जी, इस कानून का सबसे बड़ा एडवांटेज हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह ड्राइविंग लाइसेंस ने सकता है, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में लाइसेंस ने सकता है। अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में कहीं भी कर सकता है, सब ई-गवर्गेंस होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और ई-गवर्गेंस के लिए इलेक्ट्रोनिक रजिस्टर बनेगा।

मठोदया, जब मैं कभी यह सवाल पूछूंगा तो इम्बेरेशिंग होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्चाई हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने बूड़िवंग लाइसेंस के लिए क्यू में परीक्षा देकर झूड़िवंग लाइसेंस लिया हैं। हां, कुछ लोग हैं। बड़े लोग, बड़े पत्कार, बड़े लेखक, बड़े केता, घर में बैठकर लाइसेंस लेते थे। इस बिल के पास होने के बाद मैं मंत्री होने के बावजूद भी घर बैठे लाइसेंस नहीं ले सकता। अब कितना भी बड़ा व्यक्ति हैं, उसे लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, कम्प्यूटर टेस्ट लेगा, कम्प्यूटर पास-फेल डिक्ट्रेय करेगा, रिकार्ड आरटीओ ऑफिस में भेजा जाएगा और तीन दिन के अंदर लाइसेंस मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आरटीओ के उपर कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी। इसके लिए इलेक्ट्रेयिक रिजस्टर बनेगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास चार-चार जगहों का लाइसेंस हैं, दिल्ली में कार्रवाई हो गई तो दूसरे तीन स्टेट का लाइसेंस हैं। रिजस्टर बनने से न गाड़ियों की चोरी, होगी न बोगस झूड़िवंग लाइसेंस रहेगा। जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में गुनाह करेगा उसका रिकार्ड तुरंत आएगा कि इसे कितने सालों से लाइसेंस मिला है, ई-गवर्नेंस हो जाएगा। अब कोई मुर्ख नहीं बना सकता, इस कानून का उपयोग होगा।

मैं माननीय सदस्य श्री राव को बताना चाइता हूं कि इसका उपयोग आधार के साथ ऑनलाइन आवेदकों के सत्यापन के लिए किया है, इसे आधार के साथ जोड़ा हैं। देश में गाड़ियां चोरी होती हैं, नंबर प्लेट बदली जाती हैं, पार्ट्स चोरी हो जाते हैं। अभी तो ऐसी टेवनोताजी आ गई है कि एक-एक पार्ट पर इतैवट्रानिक मार्किंग हैं, इसके आधार पर पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी का पार्ट कहां बदला गया और गाड़ी कहां चोरी हुई हैं। नियमों की कठोरता के कारण गाड़ी चोरी करने वाले तोगों का भी काम खत्म हो जाएगा और इसके साथ बोगस ड्राइविंग लाइसेंस लेकर काम चलाने वाले लोगों का काम भी अब खत्म हो जाएगा। यह इस बिल की बहुत बड़ी देन हैं। यह काम आनलाइन होगा।

मैं माननीय सदस्या सुश्री सुष्मिता देव को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाते समय 18 राज्यों के दस पालिटिकल पार्टीज़ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स के साथ पांच-सात मीरिंग की, इसके अध्यक्ष श्री युनूस खान थे। दिमाचल पूदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री बाली ने इसमें बहुत रुचि ली। कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम, टीआरएस, सभी पार्टियों ने साल्युशन का ड्रापट दिया है, उसे हमने स्वीकार किया हैं। स्टैंडिंग कमेटी में मुकुल यय जी आए। उन्होंने स्टेट के सब लोगों को बुलाया, स्टेट के मंत्रियों को बुलाया, औदेटीज़ को बुलाया, आस्टीओ कमिश्नर्स को बुलाया, उनसे चर्चा की और सुझाव दिए। यह बिल बनाते समय हमने सब लोगों को विश्वास में लेकर काम किया हैं। यह आम आदमी की सुरक्षा का विषय हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें हम राज्य सरकार का सहयोग लेकर ही आगे जाएंगे। हम राज्य सरकार के सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे और राज्य सरकार की पूरी मदद करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं रपष्ट कहना चाहता ढूं कि राज्यों की सीमा पर ट्रांसपोर्ट के चैक पोस्ट की स्थित अच्छी नहीं हैं। मैं महाराष्ट्र, नागपुर में रहता ढूं। छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्ट में हमारे तोग जाते हैं, यहां बहुत गड़बड़ी हैं। हम किसी भी स्थित में किसी भी प्रकार का करप्शन ट्रांसपोर्ट सैंवटर में सहन नहीं करेंगे। आनताड़न गवर्नेस ताना ही होगा। करपशन को समाप्त करना ही होगा। नाके पर तोगों को रोक-रोक कर, रुता-रुता कर पैसे वसूत करने का धंघा बंद करना ही होगा, यह नहीं चलेगा। हम इस बात पर पत्रके हैं, इसके लिए मैं आपसे सहयोग मांगता हूं और इसके लिए हम राज्य सरकारों से बात करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बिल द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के बारे में व्यापक सुधार करने में सक्षम होंगे। यह विधेयक नागरिकों को सस्तीकृत और उत्तम सेवा देने में सहायक होगा। इसमें आटोमेशन और कम्प्यूटराइजेशन हैं। राज्यों के परिवहन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गूमीण शहरी परिवहन एवं लास्ट माइल कनैंविटविंदी में व्यापक परिवर्तन करने का मार्ग प्रश्नरत होगा। सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ितों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। मुझे बहुत दुख होता हैं और कभी संकोच होता हैं कि वया दुनिया में हमारा नाम इसके लिए ही आ गया है कि सबसे ज्यादा एवसीडेंट्स कहां होते हैं, कौन लोग ज्यादा मरते हैं, इसकी चर्चा होती हैं। मैं अमेरिका में गया था, मुझे अमेरिकन और बाकी लोग कह रहे थे कि मिस्टर गडकरी, आपको बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए। मुझे लगा कि हमारे देश की यह कितनी बड़ी कमी है, इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों का हृदय से आहान करता हूं, मैं आपकी अध्यक्षता में हर जिले में एक कमेटी एपाइंट कर रहा हूं। इस कमेटी को उस जिले की रोड सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। म्युनिसिपल रोड, नेशनल हाईचे, स्टेट हाईचे, सिटी रोड के लिए कलैक्टर होगा, एसपी होगा, आप विजिट कीजिए और जो एक्सीडेंटल स्पॉट्स हैं, उसे इम्पलीमेंट करने के तुरंत आदेश उस संस्था को दीजिए। हमारी सरकार के आने वाले पांच साल जब पूरे होंगे, देश में आप और हम सब मिलकर कम से कम 50 फीसदी लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि 23 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रवशन कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि मैंने मार्च के अंत में 16,800 किलोमीटर के कांट्रव्स दिए हैं, साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए का काम दिया है। ये रोड तो बड़े बनेंगे ही, लेकिन जिस दिन हम पदास परसेंट लोगों की जान बचा पाएंगे, वह हमारा सबसे बड़ा काम होगा। यही हमारा मिशन हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing like this will go on record.

…(Interruptions) … <u>*</u>

HON. SPEAKER: Mr. Minister, Please listen to me.

…(Interruptions) …*

HON. SPEAKER: This will not go on record, I am sorry.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं जिसे बोलने के लिए एलाऊ करू, आप उसी का उत्तर दीजिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, रोड सेपटी के एवट में प्रधान मत्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद् ने काफी सुझाव दिये_। इन सबके सामने प्रैंजेंटेशन भी हुआ_। सड़क सुरक्षा के मामले को सरकार ने बहुत सीरियसली लिया हैं_।

अध्यक्ष महोदया, मैं सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज बिल पास होने के बाद भी यह मंथन चलता रहेगा। हमारे हाथ से कुछ बातें छूट भी सकती हैं, लेकिन हम फिर भी ओपन हैं। आप जब

भी सुझाव देना चाहें, तब आप जरूर दे दें_। अगर हमें लगता है कि ये सुझाव इम्प्लीमैंट करने चाहिए, तो हम उसे इम्प्लीमैंट करेंगे_।

मैंडम, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हमारी कोर्ट ने बहुत डिसीजन दिये हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन देती हैं। मैं उगर हो हमारा लोकतंत्र तेजिस्तेटिव विंग, एम्जीवयूटिव विंग, मीडिया और मूर्डिश्वयरी, इन चार स्तंभों पर ख़ड़ा हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हर स्टेक होत्न्हर के अधिकार, जिम्मेदारियां और मर्यादाएं तिखी हैं। हमारे सामने कभी-कभी यह समस्या खड़ी होती हैं कि बहुत बार ऐसे जजमैंट आते हैं, जिनके बारे में हम आतरेडी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके कारण वह काम कभी-कभी रुक जाता हैं। मैं देश के सब स्टेक होत्न्हर्स को, विशेष रूप से हमारी लेजिस्तेटिव विंग हैं, मीडिया हैं। एम्जीवयूटिव विंग इसे इम्प्लीमैंट कर रही हैं। मैं जूडिशियरी विंग को आध्वरत करना चाहता हूं कि बायोपयूल, अत्टरनेटिव पयूल, पॉल्यूशन कम करने, आटोमोबाइल में सुधार करने, सुरक्षा, रोड इंजीनियरिय आदि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं हैं, जिसमें सरकार संवेदनशीत नहीं हैं। लेकिन सरकार को इन सब बातों को सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। एक जजमैंट आया था कि 15 साल पुराने टूक को बाहर कर दिया जाये। एक सरहार जी अपने परिवार को लेकर मेरे आफिस में आये और नीचे बैठ गये। वे बोले कि साहब, आप मुझे बताइये कि मैं वया करूं, वर्थोंकि मैंने कर्जा लिया हुआ हैं। मैं घर नहीं चता सकता। अगर आपने मेरा टूक कल से बंद कर दिया, तो मैं इन बच्चों को कैसे खिताऊंगा? बैंक कर्जा वसूली के लिए मेरा घर जब्त कर लेगी, तो मैं वया करूंगा? मैंने कहा कि आप विंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ मार्ग निर्मात केम सब स्टेक केस हैं। वे भी हमें इसमें सहयोग करें। उन्होंने जो-जो बातें करी हैं, उसे हम निधित रूप से अमल में लायेंगे।

आखिर में, प्रदूषण के मापदंड के बारे में भी काफी माननीय सदस्यों ने विंता व्यक्त की हैं। इम 1 अप्रैल, 2020 तक यूरो-6 के एमीशन नाम्स को मेनडेटरी करने जा रहे हैं। इसके कारण पॉल्यूशन में कमी होगी। हमें पेट्रोलियम मिनिस्टर ने आश्वस्त किया है कि वे इसके लिए लगने वाला प्यूल उपलब्ध करा कर देंगे।

मैं सदन के सब सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह देश हित, लोगों की जान बचाने और इस सैवटर में बहुत बड़ा ट्रांसफार्म करने के लिए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यूनेनीमस इस बिल को पास करने में सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।...(ञ्चवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सबको बोलने का मौका दूंगी, लेकिन मुझे पहले थोड़ा प्रोसीजर वर्क करने दीजिए_।

The question is:

"That the Bill further to amend the Motor Vehicle Act, 1988 be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 Amendment of Section 2 and Insertion of new section 2B

HON. SPEAKER: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4 Amendment of Section 8

Amendment made:

Page 3, after line 9, insertâ€"

"Provided also that the licensing authority may, before issuing the license verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the Central Government". (4)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 4, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

Clause 7 Amendment of section 11

Amendment made:

Page 3, for lines 25 to 27, substituteâ€"

7. In section 11 of the principal Act,â€"

(1) in sub-section (1), for the words "the licensing authority having jurisdiction in the area", the words "any licensing authority in the State" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely: $\hat{a} \in \mathcal{C}'$

"Provided that the licensing authority may, before issuing the license verify the identity of the applicant in such manner as may be prescribed by the Central Government.".' (5)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 7, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 Amendment of section 14

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 86 to clause 9?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

Page 3, line 43,--

for "three"

substitute "two". (86)

I am moving amendment No. 86 regarding issuance and renewal of licence to be effective for a period of three years. My amendment is to make it two years.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 86 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 9, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 9 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Amendment of section 15

Amendments made:

Page 4, for line 20, substituteâ€"



"That clause 14, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 14, as amended, was added to the Bill. Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 Amendment of section 41

HON. SPEAKER: Amendment No. 64 to clause 16 - Shri Shankar Prasad Datta, are you moving?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Yes, I am moving my amendment.

Page 6, line 15, --

after "by the dealer of such motor vehicle"

insert "to the registering authority". (64)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 64 moved by Shri Shankar Prasad Datta to clause 16, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 87 and 88?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

Page 7, line 10,--

omit "the owner or" (87)

Page 7, line 17, --

omit "owner or" (88)

Here the owner is being made liable for non-registration. The registration is the liability of the dealership; unnecessarily the owner is being penalised when the dealer has to register the vehicle. So, my suggestion may please be accepted by the Minister. This is a totally unacceptable provision.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 87 and 88 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 16, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 16 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17 Amendment of section 43

Amendment made:

Page 7, after line 25, insertâ€"

"Provided that the State Government may register a motor

vehicle that plies, temporarily, within the State and issue a certificate of registration and registration mark for a period of one month in such manner as may be prescribed by the State Government.". (12)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 17, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted Clause 17, as amended, was added to the Bill. Clause 18 was added to the Bill.

Clause 19 Amendment of section 49

HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav, are you moving amendment no. 82 to Clause 19?

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Madam, my amendment is regarding compulsory online process. I beg to move:

Page 7, after line 43,-

insert "Provided that the registering authority shall provide an option to complete the entire intimation process online.

Provided further that nothing in sub-section (1) shall apply in case of non-compliance with this sub-section (1A).". (82)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 82, moved by Shri Rajeev Satav, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 19 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 19 was added to the Bill

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 21 Amendment of section 55

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment no. 89 to Clause 21?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 8, line 26,-

after "in writing"

insert "and hearing" (89)

Madam, this is my last amendment. Before canceling the registration by the registering authority a chance of hearing should be given to the concerned person so that the principle of natural justice is complied with. This may kindly be considered.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 89 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 21 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause21 was added to the Bill

Clause 22 Amendment of section 56

Amendment made:

Page 8, line 34, for "2018", substitute "2019". (13)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That Clause 22, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted Clause 22, as amended, was added to the Bill. Clauses 23 to 26 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI NITIN GADKARI: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an

amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 14** to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 14* to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 26A

Amendment made:

Page 10, after line 41, insertâ€"
'26A. In section 65 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (f), after the word "marks", the words and figures "under proviso to section 43" shall be inserted.'. (14)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That new clause 26A be added to the Bill."

The motion was adopted.

New clause 26A was added to the Bill.

Clause 27 Amendment of section 65

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 65 and 66 to Clause 27?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:

Page 10, omit lines 43 to 46. (65)

Page 11, omit lines 1 to 2. (66)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 65 and 66, moved by Shri Sankar Prasad Datta, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 27 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 27 was added to the Bill.

Clause 28 Insertion of new sections 66A and 66B

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 67 and 68 to Clause 28?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:

Page 11, line 28,-

for "promote competition"

substitute "strengthen State Transport Undertakings, promote competition". (67)

Page 11, lines 31 and 32,-

for "seeking to enhance private participation and public-private partnership" *substitute* "strengthening State Transport Undertakings". (68)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 67 and 68 moved to Clause 28 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: Dr. Ratna De (Nag), are you moving amendment no. 90 to Clause 28?

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I am not moving.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 28 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 28 was added to the Bill.

माननीय अध्यक्ष : कभी तो थैंक यू बोलने का मौका मुझे दीजिए।

Clause 29 Amendment of section 67

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 69 and 70 to Clause 29?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:

Page 12, for lines 8 and 9,-

substitute "(d) the strengthening of State Transport Undertakings". (69)

Page 12, line 20,-

after "in the Official Gazette"

insert "direct the State Transport Undertakings to". (70)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 69 and 70 moved to Clause 29 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 29 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29 was added to the Bill.

Clause 30 was added to the Bill.

Clause 31 Amendment of Section 74

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment no. 71 to Clause 31?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Yes, Madam, it is related to the States so I have to move it. All the hon. Members should support it. I beg to move:

Page 13, omit lines 1 to 4. (71)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment no. 71 moved to Clause 31 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 31 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 32 Insertion of new section 88A

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 72 and 73 to Clause 32?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:

Page 13, line 11,-

after "in the Official Gazette"

insert "direct the State Transport Undertakings through the concerned State Government to". (72)

Page 13, omit lines 33 to 36 (73)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 72 and 73 moved to Clause 32 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 31 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 32 was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

Clause 34 Amendment of section 93

Amendment made:

Page 14, line 4, for "shall", substitute "may". (15)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment nos. 74 and 75 to Clause 34?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:

Page 13, omit lines 41 to 45. (74)

Page 14, omit line 1. (75)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment nos. 74 and 75 moved to Clause 34 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 34, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 34, as amended, was added to the Bill.

Clause 35 was added to the Bill.

Clause 36 Amendment of section 96

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment no. 76 to Clause 36?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I beg to move:

Page 14, line 14,-

for "the promotion of effective competition"

substitute "strengthening of State Transport Undertakings". (76)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment no. 76 moved to Clause 36 by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 36 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 36 was added to the Bill.

Clauses 37 to 39 were added to the Bill.

Clause 40 Amendment of section 116

Amendment made:

Page 16, after line 25, insertâ€"

"Provided that for the purposes of this sub-section, the National Highways Authority of India or any other agency authorised by the Central Government may seek assistance from the authorities of the State Government and the said State Government shall provide such assistance.". (16)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 40, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 40, as amended, was added to the Bill.

Clauses 41 to 46 were added to the Bill.

Clause 47 Amendment of section 138

Amendment made:

Page 18, for lines 5 to 7, substituteâ€"

"(1A) The State Government may, in the interest of road safety, make rules for the purposes of regulating the activities and access of non-mechanically propelled vehicles and pedestrians to public places and national highways:

Provided that in the case of national highways, such rules shall be framed in consultation with the National Highways Authority of India.". (17)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment no. 77?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I am not moving it, Madam.

HON. SPEAKER: Thank you very much.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 47, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 47, as amended, was added to the Bill.

Clause 48 was added to the Bill.

Amendments made:

Page 18, line 16, *after* Insurance Regulatory and Development Authority *insert* "of India". (18)

Page 18, line 39, for "Government", substitute "Government, the driver and any other co-worker on a transport vehicle". (19)

Page 19, for lines 6 to 13, substituteâ€"

- (2) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any vehicle owned by the Central Government or a State Government and used for purposes not connected with any commercial enterprise.
- (3) The appropriate Government may, by order, exempt from the operation of sub-section (1), any vehicle owned by any of the following authorities, namelyâ€"
- (a) the Central Government or a State Government, if the vehicle is used for purposes connected with any commercial enterprise;
- (b) any local authority;
- (c) any State Transport Undertaking:

Provided that no such order shall be made in relation to any such authority unless a fund has been established and is maintained by that authority in such manner as may be prescribed by appropriate Government.

Explanation.â€"For the purposes of this sub-section,

"appropriate Government" means the Central Government or a State Government, as the case may be, andâ€"

- (i) in relation to any corporation or company owned by the Central Government or any State Government, means the Central Government or that State Government;
- (ii) in relation to any corporation or company owned by the Central Government and one or more State Governments, means the Central Government;
- (iii) in relation to any other State Transport Undertaking or any local authority, means that Government which has control over that undertaking or authority.'. (20)

Page 19, omit lines 38 to 41. (21)

Page 19, for lines 48 to 51, substituteâ€"

"(4) Notwithstanding anything contained in this Act, a policy of Insurance issued before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017 shall be continued on the existing terms under the contract and the provisions of this Act shall apply as if this Act had rot been amended by the said Act.". (22)

Page 20, line 21 for "either" substitute "either from claimant or". (23)

Page 20, line 25, for "such time", substitute "thirty days". (24) Page 21, line 17, after "disqualification" insert "or driving under the influence of alcohol or drugs as laid down in section 185". (25) Page 21, omit lines 46 to 48. (26) Page 22, omit lines 1 to 5. (27) Page 25, line 48, for "such time", substitute "three months". (28) Page 26 lines 12 to 14, for "the General Insurance Council of India formed under section 9 of the said Act and the insurance companies for the time being carrying on general insurance business in India", substitute "the Central Government". (29) Page 26, omit lines 44 to 49. (30) Page 27, for lines 5 and 6, substituteâ€" "and the schemes made under this Act for treatment of road accident victims, including during the golden hour.". (31) Page 27, for lines 40 to 45, substituteâ€" "hurt due to any accident arising out of the use of motor vehicle, a compensation, of a sum of five lakh rupees in case of death or of two and a half lakh rupees in case of grievous hurt to the legal heirs or the victim, as the case may be.". (32) Page 28, omit lines 9 to 16. (33) Page 28, line 19, omit "a cess or tax or". (34) Page 28, after line 21, insertâ€" "(ba) the balance of the fund created under scheme framed under section 163, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017;". (35) Page 28, for lines 27 to 34, substituteâ€" "(a) treatment of the persons injured in road accidents in accordance with the scheme framed by the Central Government under section 162; (b) compensation to representatives of a person who died in hit and run motor accident in accordance with schemes framed under section 161; (c) compensation to a person grievously hurt in a hit and run motor accident in accordance with schemes framed under section 161;". (36) Page 29, after line 16, insert â€"

"(11) Any scheme framed under sub-section (3) of section 161, as it stood immediately before the commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2017, shall be discontinued and all rights and liabilities accruing there under shall be met out of the fund with effect from the date of commencement of this Act.". (37) Page 30, after line 2, insertâ€" "(ia) administration of the fund established under sub-section (3) of section 146;". (38) Page 30, omit lines 5 and 6. (39) Page 30, omit lines 19 and 20. (40) Page 30, omit line 23. (41) Page 30, for lines 24 and 25 substitute â€" "(v) the procedure for payment of compensation under sub-section (1) of section 164;". (42) (Shri Nitin Gadkari) HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta to move amendment Nos.78 to 80. SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move: Page 19, line 39,after "not exceeding ten lakh rupees" substitute "not less than twenty lakh rupees". (78) Page 19, line 40,for "not exceeding ten five lakh rupees" substitute "not less than ten lakh rupees". (79) Page 19, lines 40 and 41,after "as may be prescribed by the Central Government from time to time" substitute "as may be decided by the Motor Accidents Claims Tribunal". (80) Madam, I have moved these amendments because they affect the life of the people. Therefore, it should not be less than Rs.20 lakh. My proposal is HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos.78 to 80 to Clause 49 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

that it should exceed Rs.20 lakh and in the case of grievous hurt, it should be exceeding Rs.10 lakh.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Madam, I want division.

HON. SPEAKER: Let the lobbies be cleared --

15.00 hours

HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

...(Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, the amendment moved by the hon. Member from CPI (M) is that there should not be any cap, but that cap has already been removed. So, why again are we insisting on that? He has already agreed and the cap has been removed...(Interruptions)

HON. SPEAKER: One minute please. Listen to the hon. Minister.

भी नितिन गडकरी: स्पीकर महोदया, पचास हजार रुपये से पाँच लाख रुपये तक हमने बढ़ाया हैं। यदि उनको पाँच लाख रुपये से ऊपर के लिए जाना हैं, तो वे ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल उसे बढ़ाकर देगां। लेकिन आज इसे 20 लाख रुपये किया गया, तो इससे इंश्योरेंस का प्रिमियम चार गुना बढ़ेगा, जिसे लोग नहीं दे सकते हैं। वह बढ़त ही इम-प्रैविटकल होगां। इसके बाद ट्रिब्यूनल को अधिकार हैं, वह पाँच लाख रुपये के ऊपर और दे सकता हैं।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam, this will be a very dangerous clause...(Interruptions)

HON. SPEAKER: The hon. Minister has already cleared the position. You are moving the amendment. That is all.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Secretary-General to read the instructions.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

- 1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
- 2. When the hon. Speaker says "Now Division" the Secretary-General will activate the voting button whereupon "**RED BULBS**" above display boards on both sides of hon. Speaker's Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.
- 3. For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously "**ONLY**" after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the first **GONG**.

Red "VOTE" button in front of every hon. Member on the Head of the phone plate

And

Any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat:

Ayes: Green Colour

Noes: Red Colour

Abstain: Yellow Colour

- 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard and the RED BULBS above plasma display are "OFF".
- 5. Hon. Members may please note that their votes will be not be registered:
- (i) if buttons are kept pressed **before** the first **GONG** sound.
- (ii) Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second **GONG** is sounded.
- 6. Hon. Members can actually "SEE" their vote on display boards installed on either side of hon. Speaker's Chair.
- 7. In case the vote is not registered, they may call for voting through slips.

Shri Gurjeet Singh Aunjla, a new elected Member has not been allotted Division number so far. He will be supplied "Ayes" and "Noes" printed slips for recording his vote. He may kindly record vote by his office choice by signing and writing legibly his name, ID number and constituency on the slip.

HON. SPEAKER: The question is:

"Page 19, line 39,-after "not exceeding ten lakh rupees" substitute "not less than twenty lakh rupees". (78)

Page 19, line 40,-for "not exceeding ten five lakh rupees"

substitute "not less than ten lakh rupees" (79)

Page 19, lines 40 and 41,-- after "as may be prescribed by the Central Government from time to time" substitute "as may be decided by the Motor Accidents Claims Tribunal". (80)

The Lok Sabha divided:

DIVISION AYES 15.04 hours

Anwar, Shri Tariq

@Aujla, Shri Gurjeet Singh Baite, Shri Thangso Baker, Shri George Biju, Shri P. K. Chandrappa, Shri B. N. Chaudhary, Shri Santokh Singh Chowdhury, Shri Adhir Ranjan Datta, Shri Sankar Prasad Dev, Kumari Sushmita Engti, Shri Biren Singh Gandhi, Shrimati Sonia Gogoi, Shri Gaurav Gowda, Shri S.P. Muddahanume Jayadevan, Shri C. N. Karunakaran, Shri P. Kharge, Shri Mallikarjun Kumar, Shri Kaushalendra Mahadik, Shri Dhananjay Mahtab, Shri Bhartruhari Mani, Shri Jose K. Meinya, Dr. Thokchom Mohapatra, Dr. Sidhant Moily, Shri M. Veerappa Premachandran, Shri N.K. Raghavan, Shri M.K. Rajesh, Shri M. B. Ramachandran, Shri Mullappally Ranjan, Shrimati Ranjeet Sahu, Shri Tamradhwaj Salim, Shri Mohammad Samal, Dr. Kulmani Sampath, Dr. A. Suresh, Shri D.K. Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi Venugopal, Shri K. C. Yadav, Shri Jai Prakash Narayan Yellaiah, Shri Nandi

Ahluwalia, Shri S.S. Amarappa, Shri Karadi Sanganna Ananthkumar, Shri Angadi, Shri Suresh C. Babu, Dr. Ravindra Baheria, Shri Subhash Chandra Bais, Shri Ramesh Bala, Shrimati Anju Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai Bhagat, Shri Bodh Singh Bhamre, Dr. Subhash Ramrao Bharti, Sushri Uma Bhatt, Shrimati Ranjanben Bhole, Shri Devendra Singh Birla, Shri Om Bohra, Shri Ramcharan Brahmpura, Shri Ranjit Singh Chand, Shri Nihal Chandel, Kunwar Pushpendra Singh Chaudhary, Shri C. R. Chaudhary, Shri Haribhai Chaudhary, Shri Pankaj Chaudhary, Shri Ram Tahal Chauhan, Shri Devusinh Chauhan, Shri P. P. Chavan, Shri Harishchandra Chavda, Shri Vinod Lakhmashi Chhewang, Shri Thupstan Chhotelal, Shri Choubey, Shri Ashwini Kumar Choudhary, Col. Sonaram Choudhary, Shri Babulal Choudhary, Shri Birendra Kumar Chouhan, Shri Nandkumar Singh Chudasama, Shri Rajeshbhai Deka, Shri Ramen Devi, Shrimati Rama Devi, Shrimati Veena

Agrawal, Shri Rajendra

Dharambir, Shri Dhotre, Shri Sanjay Gadkari, Shri Nitin

Dhurve, Shrimati Jyoti

Dohre, Shri Ashok Kumar

Diwakar, Shri Rajesh Kumar

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish

Fatepara, Shri Devjibhai G.

Gaddigoudar, Shri P.C.

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath

Galla, Shri Jayadev

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal

Gandhi, Shri Feroze Varun

@Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar

Ghubaya, Shri Sher Singh

Giluwa, Shri Laxman

Gohain, Shri Rajen

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hay, Prof. Richard

Hegde, Shri Anantkumar

Hemamalini, Shrimati

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal Kateel, Shri Nalin Kumar Katheria, Dr. Ramshankar Kaushik, Shri Ramesh Chander Khadse, Shrimati Rakshatai Khaire, Shri Chandrakant Kher, Shrimati Kirron Khuba, Shri Bhagwanth Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu Kishore, Shri Jugal Kishore, Shri Kaushal @Koli, Shri Bahadur Singh Kristappa, Shri N. Kulaste, Shri Faggan Singh Kumar, Dr. Arun Kumar, Dr. Virendra [@]Kumar, Kunwar Sarvesh Kumar, Shri Dharmendra Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kushawaha, Shri Ravinder Kushwaha, Shri Upendra Lakhanpal, Shri Raghav Maadam, Shrimati Poonamben Mahajan, Shrimati Poonam Mahato, Dr. Banshilal Mahato, Shri Bidyut Baran Manjhi, Shri Hari Meena, Shri Harish Meghwal, Shri Arjun Ram Mishra, Shri Anoop Mishra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Janardan Mishra, Shri Kalraj Mohan, Shri M. Murli Mohan, Shri P.C. Munda, Shri Karia Munde, Dr. Pritam Gopinath Nagar, Shri Rodmal Naik, Shri Shripad Yesso Narasimham, Shri Thota

Nete, Shri Ashok Mahadeorao Ninama, Shri Manshankar Nishad, Shri Ajay @Nishad, Shri Ram Charitra Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal Paatle, Shrimati Kamla Pandey, Shri Rajesh @Pandey, Shri Ravindra Kumar Paswan, Shri Ramvilas Patel, Dr. K. C. Patel, Shri Devji M. Patel, Shri Dilip Patel, Shri Lalubhai Babubhai Patel, Shri Natubhai Gomanbhai Patel, Shri Prahlad Singh Patel, Shri Subhash Patel, Shrimati Jayshreeben Pathak, Shrimati Riti Patole, Shri Nana Phule, Sadhvi Savitri Bai Prasad, Dr. Bhagirath Pratap, Shri Krishan Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai Radhakrishnan, Shri Pon Rai, Shri Nityanand Rai, Shri Prem Das Raj, Shrimati Krishna Rajbhar, Shri Harinarayan Rajoria, Dr. Manoj Rajput, Shri Mukesh Raju, Shri Ashok Gajapathi Ram, Shri Janak Ram, Shri Vishnu Dayal Rao, Shri M. Venkateswara Rathod, Shri D.S. Rathore, Shri Hariom Singh Rathwa, Shri Ramsinh Raut, Shri Vinayak Bhaurao Rawat, Shrimati Priyanka Singh Ray, Shri Bishnu Pada

Reddy, Shri Ch. Malla Rijiju, Shri Kiren @Rio, Shri Neiphiu Sahu, Shri Chandulal Sahu, Shri Lakhan Lal Sai, Shri Vishnu Dev Saini, Shri Rajkumar Sampla, Shri Vijay Sanjar, Shri Alok Sarmah, Shri Ram Prasad Sarswati, Shri Sumedhanand Sawaikar, Adv. Narendra Keshav Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi Sharma, Shri Ram Kumar Sharma, Shri Ram Swaroop Shekhawat, Shri Gajendra Singh Shetty, Shri Gopal Shirole, Shri Anil Shyal, Dr. Bhartiben D. Siddeshwara, Shri G. M. Sigriwal, Shri Janardan Singh Simha, Shri Pratap Singh, Dr. Nepal Singh, Dr. Satya Pal Singh, Dr. Yashwant Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar Singh, Kunwar Bharatendra Singh, Shri Abhishek Singh, Shri Bharat Singh, Shri Bhola Singh, Shri Brijbhushan Sharan Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Hukum Singh, Shri Kirti Vardhan Singh, Shri Lallu Singh, Shri Nagendra Singh, Shri R. K. Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer Singh, Shri Rakesh

Ray, Shri Ravindra Kumar

Singh, Shri Uday Pratap
Singh, Shri Virendra
Sinha, Shri Jayant
Sinha, Shri Manoj
Solanki, Dr. Kirit P.
Somaiya, Dr. Kirit
Sonker, Shrimati Neelam
Tadas, Shri Ramdas C.
Tanwar, Shri Kanwar Singh
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Teli, Shri Rameshwar
Teni, Shri Ajay Misra
Thakur, Shrimati Savitri
Tripathi, Shri Sharad
Usendi, Shri Vikram
Utawal, Shri Manohar
Vaghela, Shri L. K.
Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai
Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai
Verma, Shri Bhanu Pratap Singh
Verma, Shrimati Rekha
Vichare, Shri Rajan
Wanga, Shri Chintaman Navasha
Yadav, Shri Hukmdeo Narayan
Yadav, Shri Laxmi Narayan
Yadav, Shri Om Prakash
ABSTAIN
Udhayakumar, Shri M.
Verma, Shri Rajesh
Yadav, Shri Dharmendra
@Yadav, Shrimati Dimple
HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the
Ayes: 037

Singh, Shri Rama Kishore

Singh, Shri Sushil Kumar

HOI Division is:

Noes: 221 Abstain: 003 HON. SPEAKER: The question is:

"Clause 49, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 49, as amended, was added to the Bill.

Clause 50 was added to the Bill.

Clause 51 Amendment of section 166

Amendments made:

Page 30, after line 44, insertâ€"

"(/) in sub section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:â€"

"Provided further that where a person accepts compensation under section 164 in accordance with the procedure provided under section 149, his claims petition before the Claims Tribunal shall lapse.". (43)

(Shri Nitin Gadkari)

Page 30, after line 45, insertâ€"

"(ia) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namelyâ€"

"(3) No application for compensation shall be entertained unless it is made within six months of the occurrence of the accident.". (44)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"Clause 51, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 51, as amended, was added to the Bill.

Clauses 52 to 64 were added to the Bill.

Clause 65 Amendment of section 184

HON. SPEAKER: Now, amendment No. 83, Shri Tathagata Satpathy – not present.

The question is:

"That clause 65 stand part of the Bill. "

The motion was adopted. Clause 65 was added to the Bill.

Clause 66 Amendment of section 185

HON. SPEAKER: Amendment No. 84, Shri Tathagata Satpathy - not present.

The question is:

"That Clause 66 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 66 was added to the Bill

Clauses 67 to 72 were added to the Bill.

Clause 73 Amendment of section 192 A

Amendments made:

Page 35, line 9, for "one year", substitute "six months". (45)

(Shri Nitin Gadkari)

Page 35, omit line 13. (46)

(Shri Nitin Gadkari)

Page 35, line 16, for "twenty thousand rupees", substitute "ten thousand rupees". (47)

(Shri Nitin Gadkari)

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I beg to move:

"Page 35, line 9,-for "one year"

substitute "nine months". (91)

Page 35, line 16,--

for "twenty thousand rupees"

substitute "five thousand rupees". (92)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 91 and 92 moved by Dr. Ratna De (Nag) to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 73, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 73, as amended, was added to the Bill.

Clause 74 Insertion of new section 192B

Amendments made:

Page 35, line 32, after "whichever is higher", insert "and with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to one year". (48)

(Shri Nitin Gadkari)

Page 35, for lines 37 and 38, substitute-

"punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to one year and shall also be liable to fine equal to ten times the amount of annual road tax or two-third the lifetime tax of the motor vehicle.". (49)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 74, as amended, stands part of the BII."

The motion was adopted.

Clause 74, as amended, was added to the Bill.

Clauses 75 and 76 were added to the Bill.

Amendment made:

Page 36, line 44, for "one thousand rupees", substitute "two hundred rupees". (50)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: Dr. Ratna De Nag, are you moving amendment No. 93 to Clause 77?

DR. RATNA DE NAG (HOOGHLY): I beg to move:

Page 36, line 44, --

for "one thousand rupees"

substitute "one hundred rupees".

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 93 to clause 77 moved by Dr. Ratna De Nag to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 77, as amended, stands part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 77, as amended, was added to the Bill.

Clauses 78 to 81 were added to the Bill.

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

SHRI NITIN GADKARI: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 51[1] to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 51 to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

Amendment made:

Page 38, after line 4, insertâ€"

"81A. After section 198 of the principal Act, the following

section shall be inserted, namely:â€"

Failure to

New C

comply with

standards for

road design,

construction

and

'198A. (1) Any designated authority, contractor, consultant or concessionaire responsible for the design or construction or maintenance of the safety standards of the road shall follow such design, construction and maintenance standards, as may be prescribed by the Central Government from time to time.

(2) Where failure on the part of the designated authority, contractor, consultant or concessionaire responsible under sub-section (1) to comply with standards for road design, construction and maintenance, results in death or disability, such authority or contractor or concessionaire shall be punishable with a fine which may extend to one lakh rupees and the same shall be paid to the Fund constituted under section 164B.

The motion was adopted.

Clause 85 Amendment of section 206

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving your amendment No. 81 to clause 85?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move:

Page 39, line 33,--

after "seize the driving licence"

insert "only after ascertaining from circumstantial and documentary evidence,".

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 81 to clause 85 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 85 stands part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 85 was added to the Bill.

Clause 86 Insertion of new sections 210A and 210 B

Amendment made:

Page 40, after line 3, insertâ€"

"210C. The Central Government may make rules forâ€"

(a) design, construction and maintenance standards for

National highways;

(b) such other factors as may be taken into account by the Court u sub-section (3) of section 198A;

Power of
Central
Government
to make

rules.

(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by

the Central Government.

210D. The State Government may make rules for design, construction and maintenance standards for roads other than national highways, and for any other matter which is, or may be, prescribed by the State Gov #)

Power of State

(Shri Nitin Gadkari)

o make

rules.

HON. SPEAKER: The question is:

The motion was adopted.

Clause 86, as amended, was added to the Bill.

Clauses 87 and 88 were added to the Bill.

Clause 89 Insertion of new sections 215A, 215B and 215C

Amendments made:		
Page 41, line 3, for "person or groups of persons", substitute public servant or public authority". (55) (Shri Nitin Gao	dkari)	
Page 41, line 4, for "person or group of persons", substitute public servant or public authority". (56) (Shri Nitin Gao	dkari)	
Page 41, line 8, for "any person or groups of persons", substitute "public servant or public authority". (57) (Shri Nitin Gao	dkari)	
Page 41, lines 8 and 9, for "person or group of persons", substitute "public servant or public authority". (58) (Shri Nitin Gao	dkari)	
Page 41, <i>after</i> line 34, <i>insert</i> â€"		
"215D. (1) The Central Government shall, by notification in National the Official Gazette, constitute a National Road Safety Board consthe State Governments, and such other members as it may consider neces Central Government. National Road Safety Board constitute a National Road Safe		
(2) The National Board shall render advice to the Central Government or State Government, as the case may be, on all aspects pertaining road safety and traffic management including, but not limited to,â€"	j to	
(a) the standards of design, weight, construction, manufacturing process, operation and maintenance of motorvehicles and of safety equipment;		
(b) the registration and licensing of motor vehicles;		
(c) the formulation of standards for road safety, road infrastructure and control of traffic;		
(a) the facilitation of safe and sustainable utilisation of road transport ecosystem;		
(e) the promotion of new vehicle technology;		
(f) the safety of vulnerable road users;		

(g) programmes for educating and sensitizing drivers and other road users; and

	(h) such other functions as may be prescribed by the Central Government from time to time.
	215E. The Central Government may make rulesâ€"
	(a) regarding terms and conditions of appointment of Chairman and Safety Board under sub-section (1) of section 215D;
	(b) other functions of the National Road Safety Board under sub-se Government ection 215D;
	to make
	(c) any other matter which is, or has to be, prescribed by the Central Government." (59)
	(Shri Nitin Gadkari)
HON.	SPEAKER: The question is:
	"That clause 89, as amended, stands part of the Bill."
	The motion was adopted.
	Clause 89, as amended, was added to the Bill.
	Motion Re: Suspension of Rule 80 (I)
SHRI	NITIN GADKARI: Madam, I beg to move:
	"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 60* to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."
HON.	SPEAKER: The question is:
	"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 60* to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 and that this amendment may be allowed to be moved."
	The motion was adopted.
	New Clause 90
Ame	ndment made:
Page	41, after line 34, insertâ€"
"90.]	In the principal Act, the Second Schedule
	shall be omitted.". (60)
	(Shri Nitin Gadkari)
HON.	SPEAKER: The question is:
	"That new clause 90 be added to the Bill."
	The motion was adopted.
	New Clause 90 was added to the Bill.
	Clause 1 Short title and commencement

Amendments made:

Page 1, line 3, for "2016", substitute "2017". (2)

Page 1, for lines 5 to 7, substituteâ€"

"in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.". (3)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

Page 1, for lines 5 to 7 substituteâ€"

"in the official gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in this Act to the commencement to this Act shall in relation to a State or provision, be construed as a reference to the coming into force of this Act in that State or respective provisions as the case may be" (85)

Madam, this amendment is regarding the coming into force of this Act. In the original Bill introduced by the hon. Minister, that provision was there. I want to reiterate that provision because the respective States will be given a chance for making the rules enforceable according to the convenience of the Central Government's Notification.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 85 to clause 1 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

ENACTING FORMULA

Amendment made:

Page 1, line 1, for "Sixty-seventh",

substitute "Sixty-eighth". (1)

(Shri Nitin Gadkari)

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Lobbies may be opened.

SHRI NITIN GADKARI: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: Now, Dr. K. Kamaraj, do you want to say something as you were not present the other day?

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Yes Madam, I want to say a few words. Since I was not there the other day, kindly give me enough time to speak now.

HON. SPEAKER: No, please say whatever you want to say in two minutes.

DR.K. KAMARAJ: Madam, this is regarding the compensation awarded in the case of accidents. The Bill caps the maximum liability for third party insurers. It cannot negate the compensation amount that courts could award in case of a conflict. So, I would like to know from the Minister, that in case the court awards a higher compensation, as to who will pay the remaining amount, whether the insurance company will pay it or the person who has caused the accident will pay.

Secondly, with regard to penalty, the penalties for contravening the provisions of the scheme on Interim Relief to accident victims are specified in the Bill. But the offences that would warrant such penalties have not been specified in the Bill. So, is it not unreasonable to impose penalties without knowing the nature of the offences? The Minister said that the Government will issue a notification. But here we are going to give powers of specifying the offences to the Executive. So, I want a clarification from the Minister on this point.

Thirdly, Clause 45 of the Bill states that the States must provide for electronic monitoring of road safety on National Highways, State Highways and Urban Roads, as per the guidelines framed by the Central Government. But it is unclear as to who will bear the cost of implementing such safety measures. This may be clarified.

Lastly, with regard to provision of Certificate of Fitness of the vehicle, the Government says that the vehicle has to be tested at an Automated Testing Station set up as per the rules framed by the Central Government and authorized by the State Government. Now, the RTOs are given powers to give these Fitness Certificates. There are two things here. First, the income of the State Government is taken away. Secondly, suppose the vehicle owner goes to an Automatic Testing Station, he would be spending extra money. There are so many mechanics in the country, who would be losing their jobs. How is the Government going to compensate them?

There are various provisions of the Bill against which we have raised our objections, but the Central Government has not considered them. It affects the federal structure of our country.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. I would just make a few suggestions.

The first point, Madam, is that the Bill proposes to target traffic offenders with stringent penalties. But the point to be noted here is that you are only imposing penalties and not proposing to cancel or impound the licenses. So, for repeat offenders, if they make offences more than two or three times, or five times like that, you should have a provision to revoke the driver's license also for some period of time. This is in vogue in most countries. So, here also, the repeat offenders should have their licenses revoked for some period of time.

The second point, Madam, is about creation of the Motor Vehicle Accident Fund, to provide immediate relief and compensation to hit and run victims. Under the Act, the Fund is called the Solatium Fund to pay compensation to hit and run victims. But under the Bill, the hon. Minister is also creating one more Fund called the Motor Vehicle Accident Fund. So, the point is: what is the necessity for a second Fund when first fund is already there?

Madam, one other point that I would like to make is regarding the definition of 'road rage'. 'Road rage' is mentioned several times but there is no definition for this in the Bill. It would be good to have a definition for it.

The final point, Madam, is this. There are thousands of buses, which are illegally registered in Arunachal Pradesh, Nagaland, Puducherry and such places with fake addresses, no physical verification, no local partner as per the BEFR; and they are given All-India Permit/Tourist Permit, which is not allowed for sleeper coaches. But they are illegally operating these in South and West. In spite of having it registered in one part of the country, they are operating in other part of the country. Thousands of such cases are there. Due to f that, the safety of the passengers is at risk.

So, I would request the hon. Minister to please investigate this and cancel the registration and certificates of these illegal vehicles as it is causing huge safety-related issues for the citizens at large.

With this, thank you, very much Madam.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, वैसे तो मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, परंतु रोड ट्रांस्पोर्ट भारत की इकॉनमी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता g_1 लाइसेंस फीस और पैनल्टीज़ बहुत हैंवी बढ़ाई गई g_1 लाइसेंस फीस ट्रन्दीतर की जो 50 रूपये थी, उसको 300 रूपये कर दिया गया g_1 इंटरनैशनन लाइसेंस 500 से 1000 रूपये, इाइविंग स्कूल की फीस 2500 रूपये से 10,000 रूपये, बहुत ही बड़े पैमाने पर इमसें बढ़त हुई g_1 इसको कम करने की जरूरत g_2 थर्ड पाटी इंश्योरेंस के जो इंस्टॉलमेंट्स g_2 उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोत्तरी हुई g_1 7 टन्स टू 12 टन्स का 16,500 रूपये से 26,000 रूपये किया g_1 12 टन्न और 20 टन का 17 हज़ार से 38 हज़ार रूपये हुआ है तो इस भी कम करने की जरूरत g_1 महोदया, मेरा यह मानना है कि रेवन्यु बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उतनी सुविधाएं सरकार को देने की जरूरत g_1 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का डैफिनेशन वेग g_1 जर्ई लाखों के केसिज़ कई कोर्ट्स में पेडिंग हैं क्योंकि जो सफरर हैं, उसमें कुटी, विलगर, एवसट्रा ड्राइवर पैसेंजर, आदि इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं g_1 यह प्रोविजन होने की जरूरत हैं, जिससे इनको भी मुआवजा मिते।

महोदया, कोई भी एविसडेंट होता है, अगर उस ड्राइवर का लाइसेंस रिन्यु नहीं है, तो उसे इंग्योरेंस नहीं मिलता हैं। उसमें उसकी रिकल खतम नहीं होती है, अगर लाइसेंस रिन्यु नहीं है तो इसकी जरूरत हैं। उसमें थोड़ी रियायत देने की जरूरत हैं। पुराने कमिशियल वहीकल्स को स्पीड गवरनर की जो सख्ती की गइर् है, उसे हटाने की जरूरत हैं, व्योंकि वह अस्सी किलोमीटर से ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती हैं, नई गाड़ियों में यह इनबिल्ट हैं। सैंट्र ने वलाज़ 89 में सैवशन 215 में सैंट्रन ब्लैंकेट सैंवशन ऑफ पॉवर की मांग की हैं, लगता है कि इसके प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कोई काम नहीं बचेगा तो उसको खारिज करने की जरूरत हैं। नई गाड़ियों के रिजर्ट्रशन की पॉवर डीतर को दी गई हैं। मैडम, इसका मिसयूज़ हो सकता हैं। अगर उनको पॉवर दिया जाए तो डीतर पुरानी गाड़ी, मतलब 2016 मॉडल की गाड़ी को सन् 2017 की भी बना कर बेच सकते हैं। इससे सरकार का रेवन्यु लॉस हो सकता हैं। रिजरट्रशन एक कॉनिसटयुशनल और ज्युडिशन पॉवर हैं, यह गवर्मेंट के पास ही होने की जरूरत हैं। जो ट्रैक्टर की ट्राली हैं, वह एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई हैं। ट्रैक्टर में इंजन हैं, लेकिन ट्रॉली में इंजन नहीं हैं, उसमें बेक सिस्टम को मैंडर्ट्री किया गया हैं, जो 10-15 सालों से प्रवचान हो नहीं पाया हैं, व्योंकि उसमें मशीन नहीं हैं, तो उसमें रियायत देने की जरूरत हैं। कम्पनी एक्ट के बारे में जो बताया कि दस लाख रुपये और पॉव लाख रुपये का प्रोविजन हैं, उसे बढ़ाने की जरूरत हैं। वर्ष 1989 में 80(80) और 39 दोनों में इसका प्रोविजन पहले था।

श्री धनंजय महाडीक : महोदया, मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी उसे दस लाख लिमिट किया है, उसे बढ़ाने की जरुरत हैं, क्योंक ड्राइवर और ओनर जो हैं, वह उसे अटा करने में नाकाम होंगे तो उन्हें सुसाइड करना पड़ेगा या जेल में जाना पड़ेगा। इसे खारिज करने की जरुरत हैं। इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो हर एक स्टेट का एग्रीमेंट हैं, जैसे महासप्द और कर्नाटक का हैं, महासप्द और आधू प्रदेश का हैं, उसके अधिकार सेन्ट्रल के पास माँगे हैं, उसकी जरूरत नहीं हैं, ये अधिकार उन्हीं को देने चाहिए, क्योंकि महासप्द में 30 हजार बसेज हैं, तीन ताख कर्मचारी काम करते हैं। अगर यह काम सेन्ट्रल के पास आ जायेगा तो इन लोगों की जॉब खतरे में आ सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद हुँगा। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I will confine to the Third Reading of the Bill. The implication on the impact or the Bill is to be addressed by the Government for which I am putting my suggestions. I will finish within seconds.

First of all, I would like to appreciate the earnest efforts made by the hon. Minister in bringing this legislation. If a driving license is seized by the police authorities, a temporary receipt will be given and a decision will be taken after six months or one year. The hon. Minister may kindly note that during that time a temporary acknowledgement receipt will be given but the person concerned will not be allowed to use that temporary acknowledgement receipt for driving. That is a denial of the Fundamental Right of a particular citizen of our country. You should specify the time by which the decision should be taken. That is the first point regarding the first implication.

The second point is already stated, I am not repeating it that it is in the Concurrent List. It is the State, wherever the 'consultation' comes, please make it as 'consent'.

The third point, Madam, is regarding the Centralized Registering Authority. A very important provision is there that all the driving licenses, all the vehicle registration details, etc., should be with the Centralized Registering Authority. To make it effective, the Central Government should provide the infrastructure facilities to the State Government for having the Centralized Registering Authority. More Central funds should be provided to the State Governments.

Fourthly, if there is any manufacturing defect in the vehicle, a certain percentage of buyers have to complaint and a particular agency has to test it also. These three provisions are there – one is the exchange; second is to reimburse the whole cost; and third is repair. If a vehicle is having a manufacturing defect and it is being repaired, it means, it is totally unfair. Kindly, look into this aspect.

Madam, my last point is regarding the helmet. Nothing was spelt about the quality of helmet. The scientific requirements of a quality helmet have not been properly stated. That may be corrected.

The last point is about the internationally accepted use of handled communication system. The hon. Minister is well aware that there is an inbuilt mechanism in the vehicle to have the handled communication system. If this Act is implemented, those who are using this handled communication system, which is inbuilt in the vehicle, will be punished.

These are my points.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Thank you Madam. I will not take more than one minute. I just want to raise only one issue. The most contentious issue is that of putting a cap for injured and deceased. This is the most important and contentious issue. The hon. Minister has not properly addressed that issue. This cap will only serve the interest of insurance companies but not the interest of the common people.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I will be very brief Madam. Actually, when the hon. Minister originally brought this Motor Vehicles (Amendment) Bill, he wanted to pass it straightaway. But like me, many other hon. Members proposed that it should be sent to the Standing Committee. Now, the Standing Committee has sent a Report and we have come with a better Bill for which I thank the hon. Minister.

All I want to ask the Minister is this. He has mentioned about sky buses and all that. In his speech, he has not mentioned about the Bus Rapid Transit System (BRTS) which operates very well in Indore, in Ahmedabad and in Curitiba in Brazil. I want a reaction from him on the BRTS system to be operated throughout India.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed. If you want to comment, you can do so in one or two minutes only.

SHRI NITIN GADKARI: There is no cap on liability. The entire amount is paid by the insurance company. There is go gap. A competent judicial authority can give the decision. It can benefit them. So, no question arises. ...(*Interruptions*) এগো বহাল কাৰ্ব কাৰ

HON. SPEAKER: He has already cleared it. Voting is also there.

भी नितिन गडकरी : सम्माननीय अध्यक्ष महोदया, जो फीस के बारे में पूछा गया हैं, इसमें कम करने का अधिकार राज्यों को हैं_। वे यह कर सकते हैंं_।

इसके साथ-साथ अन्य सभी मुद्दों का मैंने जवाब दिया है, जैसे जिन शहरों में ट्रांसपोर्ट का आज तक जो प्रवित्त सिस्टम है, उसको चलाने में कोई अड़चन नहीं है। आपने जो विषय निकाला था, उसकी जानकारी के रूप में नए मॉडर्न सिस्टम के बारे में मैंने केवल बताया है।

मैं इतना ही कहूंगा कि जो सबके सुझाव हैं, इसके ऊपर भी सरकार विचार करेगी और मैं अब सदन से अनुरोध करता हूं कि वह एकमत से इस बिल को पूरी तरह मंजूरी पूदान करे, यही मैं सब से पूर्थना करता हूं।

I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

_